

पत्रिका

19.6.18

कावली लोक अदालत केम्पलेटिंग
में पेश हुई। कदनी गप साधवनी
उपलब्ध, प्रतिवादी नं. 2,4 उपलब्ध।
संरक्षण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ

~~संरक्षण में~~

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प बनेठियां

उनवान

समता बाई उर्फ मूर्ति पुत्री बद्दीलाल पत्नी बृजराज जाति अहीर निवासी उम्मेदपुरा तहसील
दीगोद जिला कोटा

-वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. संतोष पुत्री ब्रदीलाल पत्नी गोविन्द
3. विष्णु पुत्री ब्रदीलाल पत्नी हरिश
4. पूजा पुत्री ब्रदीलाल पत्नी ज्ञानप्रकाश
5. सत्यनारायण पुत्र कंवरलाल
6. पपूलाल पुत्र कंवरलाल
7. हंसराज पुत्र कंवरलाल
8. गीताबाई पुत्री कंवरलाल
9. धनकंवर पुत्री कंवरलाल जाति अहीर निवासीगण उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर-1/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस.
वहाजिरी श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह
लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाना है कि " वाद वादनी सहखातेदारान की सहगति
नुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 299, 321, 359,
366, 369, 449 कुल किता 6 रकबा 8.84 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम मूर्ति

पुत्री बद्रीलाल के स्थान पर समता बाई उर्फ मूर्ति पुत्री बद्रीलाल दर्ज किया जावें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 19.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दा	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद